न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/84/18	02–07–2018	16–11–2018

01. सुन्दर लाल वर्मा पुत्र कन्हैया लाल निवासी ग्राम बिलेटा उचित मूल्य दुकानदार 1/3 भाग ग्राम पंचायत बिलेटा तहसील रैणी जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. उप खण्ड अधिकारी राजगढ, जिला अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी राजगढ, दिनांक 13–06–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या 788/1994

उपस्थितः–

01. श्री श्योराम सिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

——:: निर्णय ::——

अपीलान्ट ने यह अपील उप खण्ड अधिकारी राजगढ, अलवर के निर्णय दिनांक 13–06–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र संख्या 788/1994 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बिना अपीलान्ट को सुने निलंबित किया है। उप खण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 10.11.17 को निलंबित किया गया था, निलंबित करने से पूर्व तहसीलदार रैणी की जांच रिपोर्ट पत्रावली पर थी जो अपीलान्ट के पक्ष में थी। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को कोई भी कारण बताओं नोटिस जारी नहीं किया गया था। प्रकरण में 03 जांच रिपोर्ट प्रस्तुत हुई–प्रथम जांच रिपोर्ट दिनांक 02.11.17 तहसीलदार रैणी द्वारा की गई जिसमें अपीलान्ट के विरूद्व कोई भी गबन का आरोप प्रमाणित नही था। राजनैतिक दबाव के चलते अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के लिए–द्वितीय जांच रिपोर्ट दिनांक 16.1.18 प्रवर्तन निरीक्षक रैणी श्री दिनेश चौबे द्वारा तैयार की गई जिसमें अपीलान्ट के विरूद्व कोई गबन का आरोप प्रमाणित नही हुआ, जिसके पश्चात् येनकेन अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त करने के लिए–तृतीय जांच रिपोर्ट दिनांक 05.06.18 तीन प्रवर्तन निरीक्षकों श्री हरि प्रसाद,श्री कृष्ण कुमार बायला एवं सुश्री रिंकी द्वारा तैयार की गई जो जांच अपीलान्ट के पक्ष में रही है जिसके जरिये कोई आरोप प्रमाणित नही था। जांच रिपोर्ट में अपीलान्ट के खिलाफ कोई आरोप प्रमाणित होता तो अवश्य ही अपीलान्ट को

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner

कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया जाता। अपीलान्ट के विरूद्व कोई आरोप नहीं है। तहत अदालत से कोई कारण बताओं नोटिस अपीलान्ट के विरूद्व जारी नही किया गया है, जब कारण बताओ नोटिस जारी ही नही किया गया है तो आरोप ही नहीं बताये, सुनाये गये, उस अवस्था में अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों की खुले रूप से अवहेलना करते हुए निरस्त किया गया है। प्रथम जांच तहसीलदार रैणी द्वारा दिनांक 02.11.17 को की गई उस समय एक प्रार्थना पत्र उनके समक्ष पेश किया जिसमें अपीलान्ट द्वारा उचित मूल्य सामग्री बाबत किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही की गई जिस तथ्य पर तहत अदालत ने द्वारा कोई निर्णय पारित नहीं किया गया, जांच अधिकारी ने उपभोक्ताओं एवं शिकायकर्ताओं के बयान लिये एवं शपथ पत्र जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत बिलेटा, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य वार्ड नं0 17 पूनम यादव के द्वारा लिखित में कथन किया कि अपीलान्ट के विरूद्व पेश शिकायत झूठी व निराधार है, उपभोक्ताओं ने वितरण एवं व्यवहार बहुत अच्छा होना एवं संतुष्ट होना जाहिर किया गया है। जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि शिकायत झुठी व निराधार माना है। द्वितीय जांच प्रवर्तन निरीक्षक दिनेश चौबे द्वारा दिनांक 16.1.18 को गई वक्त उपभोक्ताओं के शपथ पत्र जिसमें सरपंच ग्राम पंचायत बिलेटा, उप सरपंच, पंचायत समिति सदस्य वार्ड नं0 17 के द्वारा लिखित में कथन किया की अपीलान्ट के विरूद्व पेश शिकायत झूठी व निराधार है। रिपोर्ट के चरण सं0 7 में दर्ज किया हुआ है कि उपभोक्ता कल्ली,श्योदान,साकरण,अयूबखां,कल्लूखां, मीनादेवी, रेखादेवी, रबिना देवी आदि उपभोक्ताओं ने डीलर की वितरण व्यवस्था से संतुष्ट है। तहत अदालत ने अपने निर्णय में जो शिकायतकर्ता एवं उपभोक्ताओं के नाम व क्रमांक दर्ज किये है जिनके आधार पर गलत निर्णय किया गया है। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जो जांच रिपोर्ट तैयार की गई उसमें जानबूझकर वितरण गलत रूप में दर्ज किया गया है। तृतीय जांच रिपोर्ट दिनांक 05.06.18 को जांच की गई उसमें आरोपी डीलर तथा एकपक्ष को ही सुना गया है, जांच कमेटी द्वारा शिकायतकर्ताओं को नही सुना गया जिसमें प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त का उल्लधंन हुआ है। पीडित पक्ष को नही सुना गया है जांच कमेटी की रिपोर्ट सारहीन है। तहत अदालत द्वारा निर्णय करने से पूर्व कारण बताओं नोटिस, आरोप पत्र जारी करना चाहिए था जवाब लेना चाहिए था, और समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था लेकिन तहत अदालत ने ऐसा नहीं किया। पॉस मशीन में उपभोक्ता के द्वारा बिना फिंगर प्रिन्ट दिये राशन सामग्री का वितरण नहीं होता है और राशन डीलर उपभोक्ता के उपस्थित हुए बिना राशन सामग्री का वितरण नही कर सकता है। प्राकृतिक न्याय का सर्वमान्य सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के खिलाफ आदेश या फैसला देने से पूर्व समुचित सुनवाई, जबाव एवं साक्षय का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए जो तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को प्रदान नहीं किया गया। अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और किसी प्रकार का गबन किया गया है। उप खण्ड अधिकारी राजगढ द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होते ही अपीलान्ट ने अपील अन्दर मियाद पेश

जिला कलक्टर (राज0)

Scanned by CamScanner

की है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्ट के विरूद्व उपभोक्ताओं के राशनकार्डो के पॉस ट्रान्जेक्शनस तथा राशन कार्डो में भौतिक प्रविष्टियों का मिलान किया गया, राशन डीलर द्वारा पॉस मशीन द्वारा किये गए ट्रॉन्जेक्शन्स की राशन कार्डो में भौतिक प्रविष्टि नहीं की गई। डीलर द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 49 क्वि. गेहूँ जो की खाद्य सुरक्षा योजना के पत्र उपभोक्ताओं के वितरण किया जाना था, पॉस मशीन के माध्यम से फर्जी ट्रॉन्जेक्शन्स कर गबन किया जाना सिद्व होता है तहत अदालत ने अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई। तहत अदालत द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किये है वह अधिनियम के तहत पारित किये है। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट को बिना सुने पारित किया है तथा अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप गंभरी प्रवृति के नहीं है। जिसके संबंध में बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट के द्वारा उठाये गये तर्क के संबंध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत कार्यालय में राशन डीलर के विरूद्व उपभोक्ताओं द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र बाबत उपभोक्ताओं के गेहूँ को पॉस मशीन द्वारा किए गए ट्रॉन्जेक्शन्स की राशन कार्डो में भौतिक प्रविष्टि नही कर गबन करने का प्राप्त होने पर तहत अदालत के पीठासीन अधिकारी के द्वारा जांच कराई गई। तहसीलदार रैणी के अनुसार शिकायतकर्ता शौकत खां, भगवान सहाय शर्मा, पप्पू खां के राशन कार्ड को देखा जिसमें ऑनलाईन राशन सामग्री में लगभग प्रत्येक माह कैरोसिन एवं गेहूँ का उठाव किया है किन्तु मैनूअल राशनकार्ड में गेहूँ अंकित नही किया। श्री दिनेश चौबे प्रवर्तन निरीक्षक राजगढ–रैणी की जांच में डीलर के द्वारा उपभोक्ताओं की राशन सामग्री गेहूँ पॉस मशीन के द्वारा फर्जी तरीके से निकाल कर 49 क्वि. गेहूँ का गबन किया गया है। अपीलान्ट वकील ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार करते हुए रिमान्ड करना उचित समझतें है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर उप खण्ड अधिकारी राजगढ को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमान्ड की जाती है कि वे प्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, यदि प्रार्थी/अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के 49 क्वि. गेहूँ जो कि खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र उपभोक्ताओं के वितरण किया जाना था का पॉस मशीन के माध्यम से फर्जी ट्रान्जेक्शन का गबन पाया जाता है तो नियमानुसार डीलर के विरूद्व एफ.आई.आर.

जिला कलक्टर (राज०)

Scanned by CamScanner

दर्ज करवाई जावें। दौराने जांच खाद्य सामग्री का आवंटन अन्य डीलर से कराया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय प्रति तहत अदालत को मय रिकॉर्ड पालनार्थ भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16–11–2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, अलवर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

Scanned by CamScanner